न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 156/2018

वादीगण

1. मंगलचन्द पुत्र भंवरलाल
2. गणपतलाल पुत्र भंवरलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति माली निवासी बेरा निम्बड़ीया, वासनी तिलवाड़ीया तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. इन्द्रादेवी पत्नी मदनलाल
3. सन्तोष पत्नी मांगीलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी
4. धनाराम पुत्र नारायणलाल
5. रामचन्द्र पुत्र नारायणलाल जातिगण माली निवासीगण बेरा निम्बड़ीया सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।
6. सोहनलाल पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी नयापुरा, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
7. चम्पालाल पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी बेरा निम्बड़ीया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
8. राजेन्द्र पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी नयापुरा, सोजत सिटी
9. खींवाराम पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी बेरा निम्बडीया, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
10. तहसीलदार (भूमि धारक)सोजत।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रति सं0 01 से 05 उप0।
3. श्री बी0आर0 चौधरी अधिवक्ता प्रति सं0 06 से 09 उप0।

—: निर्णय :— दिनांक — 10/09/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाडीया, प0ह0 आलावास, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2 रकबा 6.6000 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.7300 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 27.04.2022 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस

बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/1064 दिनांक 05.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार हैं। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 में मार्क 'ABCD' प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। मार्क 'ABCD' को विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का भाग नहीं समझा जावें। माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

—: <u>आदेश</u> :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.07.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बासनी तिलवाडीया, प0ह0 आलावास, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.1300 है0, खसरा नंबर 2 रकबा 6.6000 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.7300 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

01 ग्राम बासनी तिलवाडिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1.	मंगलचंद पुत्र भंवरलाल जाति माली सा0 देह खातेदार	2/4 2/9 2/12	0.4100 1.0100 0.1600	चा.दो.जा. दो.बंजड़
	कुल	03	1.5800	—
2.	गणपतलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली सा0 देह खातेदार	2/3 2/10 2/11	0.4100 1.0100 0.1600	चा.दो.जा. दो.बंजड़
	कुल	03	1.5800	—
3.	खींवाराम 1/4 चम्पालाल 1/4 राजेन्द्र 1/4 सोहनलाल 1/4 पि0 लालचंद जाति माली सा0 देह खातेदार	2 2/2 2/5	0.1200 0.4500 0.1600	चा.दो.जा. दो.बंजड़

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

		2/7	0.8500	
	कुल	04	1.5800	—
4.	इन्द्रादेवी पत्नी मदनलाल 1/5 कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल 1/5 धनाराम पुत्र नारायण 1/5 रामचन्द्र पुत्र नारायण 1/5 संतोषदेवी पत्नी मांगीलाल 1/5 जाति माली सा0 देह खातेदार	2/1 2/6	0.5700 1.0100	चा.दो.जा. दो.बंजड़
	कुल	2	1.58	—
5.	इन्द्रोदेवी पत्नी मदनलाल 669/13460 कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल 1673/33650 खींवाराम पुत्र लालचंद 1/16 गणपतलाल पुत्र भंवरलाल 1/4 चम्पालाल पुत्र लालचंद 1/16 धनाराम पुत्र नारायण 34/673 मंगलचंद पुत्र भंवरलाल 1/4 राजेन्द्र पुत्र लालचंद 1/16 रामचन्द्र पुत्र नारायण 34/673 संतोषदेवी पत्नी मांगीलाल 1667/33650 सोहनलाल पुत्र लालचंद 1/16 जाति माली सा0 देह खातेदार	1 2/8	0.1300 0.2800	गै0मु0 बेरा बंजड़
	कुल	2	0.4100	—

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत